राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–43 /2021
रूखसाना प्रवीण बनाम् खुशबू आरा।

यह वाद श्रीमती रूखसाना प्रवीण, पिता–मो0 शाहजहाँ, पता–ग्राम–मजरही, थाना–भरगामा, जिला–अररिया द्वारा श्रीमति खुशबू आरा, पति–नवरेज, पता–ग्राम–विषहरिया, पोस्ट–अकरथापा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज विषहरिया, प्रखण्ड– भरगामा, जिला–अररिया के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत ग्राम पंचायत राज विषहरिया के मुखिया पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती रूखसाना प्रवीण का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नवजोत येशु जबकि प्रतिवादी श्रीमति खुशबू आरा की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री किशोर कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया को प्रतिनियुक्त किया गया।

वाद की सुनवाई के क्रम में वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री नवजोत येशु द्वारा न्यायालय से वाद वापस लेने का अनुरोध किया गया, परन्तु मामले के संज्ञान में आने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–136(2) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अररिया को राज्य का पक्ष रखने हेतु आदेश दिया गया।

3. वादी द्वारा यह वाद दायर किया गया था कि प्रतिवादी श्रीमति रूखसाना प्रवीण **"शेख"** जाति की सदस्या है, जबकि उनके द्वारा जालसाजी कर **"सेखड़ा"** जाति का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ग्राम पंचायत राज विषहरिया के मुखिया पद पर चुनाव जीत लिया गया है, जबकि उक्त ग्राम पंचायत अत्यन्त पिछड़ी जाति की महिला हेतु आरक्षित है एवं रूखसाना प्रवीण की वास्तविक जाति **"शेख"** बिहार राज्य में सामान्य जाति की श्रेणी में सम्मिलित है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार द्वारा प्रतिवादी का पक्ष रखते हुए, दावा किया गया कि रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में विचाराधीन वाद की सुनवाई की अधिकारिता आयोग में निहित नहीं है, क्योंकि यह वाद Unimpeachable साक्ष्य पर आधारित नहीं है। उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में आयोग को बताया गया कि वर्ष–2017 में दायर

वाद संख्या–03/2017 रूखसाना प्रवीन बनाम् खुशबू आरा वाद से उद्भूत C.W.J.C. No. 5136/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.12.2020 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था तथा उक्त प्रतिवेदन को प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में चुनौती दी गई थी, जिसके आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि के प्रतिवेदन को रद्द कर दिया गया था तथा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर देने का आदेश दिया था। इसी आलोक में पुनः राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि के आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07. 12.2021 द्वारा प्रतिवादी श्रीमती खुशबू आरा की जाति **"शेख"** घोषित की गई है, जिसे पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष चुनौती दी गई है। अतः यह मामला Unimpeachable साक्ष्य पर आधारित नहीं है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्णय तक वाद को स्थगित रखा जाए।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि द्वारा मात्र एक अभिलेख "खतियान" के आधार पर श्रीमती खुशबू आरा के जाति के निर्धारण किया गया है, जबकि उनके द्वारा 11 अन्य अभिलेखों को अनदेखी कर दी गई है, जिसमें उनके रक्त संबंधियों के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र भी शामिल है। उनके कई रक्त संबंधी अब भी शेखरा जाति का लाभ प्राप्त कर रहे है, जबकि खुशबू आरा की जाति शेख घोषित कर दी गई है। अंत में उनके द्वारा पुनः अपनी माँग को दुहराया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि के प्रतिवेदन को Unimpeachable साक्ष्य नहीं माना जाए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा आयोग को प्रतिवेदित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C.No.5136/2020, रूखसाना प्रवीण बनाम् खुशबू आरा एवं राज्य सरकार मामले में दिनांक–14.12.2020 के न्यायादेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना में संस्थित वाद संख्या–03/2017 पर पुनर्सुनवाई कि गई। उक्त वाद में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक–31.12.2020 को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमति खुशबू आरा **"शेख"** जाति सामान्य श्रेणी होने के कारण मुखिया पद से पद मुक्त कर दिया गया था।

उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आयोग द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के जिस प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमति रूखसाना प्रवीण को मुखिया पद से पदमुक्त किया गया था, उस प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C.No.2408/2021, में दिनांक–31.08.2021 को पारित न्याय निर्णय में रद्द कर दिया गया है। उक्त वाद का प्रभावकारी अंश पारा–13 में अंकित है, जो निम्नवत् है:– "Accordingly, I come

to the conclusion that the impugned order, dated 13.05.2018 (Annexure-P-13), passed by the General Committee of the State Level Scrutiny Committee, is violtive of principle of natural justice and the same is hereby quashed and the matter is remitted back to the Caste Scrutiny Committee of the General Administration Department to pass a fresh order in accordance with law and after furnishing all the relevant materials/documents/evidence/compact disc (CD) etc. to the petitioner, relied upon by the enquiry committee of the Crime investigation Department, preferably within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order."

6. C.W.J.C.No.2408/2021, श्रीमति खुशबू आरा बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक–31. 08.2021 को पारित उक्त आदेश के आलोक में पुनः सुनवाई कर राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07.12.2021 द्वारा आयोग को श्रीमति खुशबू आरा पिता– मो0 कमरूज्जमां आदिल, मुखिया ग्राम पंचायत राज विषहरिया के जाति का विनिश्चय उपलब्ध कराया गया है।

राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के उक्त आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07.12.2021 का प्रभावकारी अंश निम्नरूपेण हैः–

''अतः प्रश्नगत मामले में प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर सामान्य समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमति खुशबू आरा के जाति विनिश्चयन के बिन्दु पर पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से **प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए यह विनिश्चित किया गया कि श्रीमति खुशबू आरा ''शेख'' जाति के सदस्य हैं**, जो गैर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आती है। तद् आलोक में श्रीमति आरा के **''सेखड़ा''** जाति (अत्यन्त पिछड़ा वर्गों की सूची अनुसूची–1) के सदस्य होने के दावे को खारिज किया जाता है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस निर्णय से सभी संबंधित पक्षों को अवगत करा दिया जाए।''

7. **आयोग द्वारा वाद आरंभ करने वाले अधिवक्ता द्वारा दिए गए लिखित वाद एवं प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए जवाब, अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा विषय–वस्तु से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेशों का भी अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–**

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण श्रीमती खुशबू आरा (वर्तमान मुखिया, विषहरिया, पंचायत) का सामान्य श्रेणी(जाति शेख) की महिला होने के बावजूद अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) की महिला हेतु आरक्षित मुखिया पद पर **''सेखड़ा''** जाति का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर निर्वाचन में विजय प्राप्त करना है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07.12.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष चुनौति देने अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई स्वीकार कर लिए जाने मात्र से यह आदेश एक impeachable साक्ष्य है। मामले को समग्रता से देखने पर स्पष्ट है कि श्रीमति रूखसाना प्रवीण एवं श्रीमति खुशबू आरा वाद के मूल में निम्न तथ्य पाए गए है:–

''प्रथमतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C.No.5136/2020 में दिनांक–14.12.2020 को पारित न्यायादेश से उद्भूत राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के वाद संख्या–03/2017, रूखसाना प्रवीण बनाम् खुशबू आरा में आयोग द्वारा श्रीमति खुशबू आरा को ''शेख'' जाति सामान्य श्रेणी होने के कारण ग्राम पंचायत विषहरिया, प्रखण्ड–भरगामा, जिला–अररिया के मुखिया पद से पदमुक्त किया गया था।''

तदोपरांत C.W.J.C.No.2408/2021 में दिनांक–31.08.2021 में पारित आदेश के कारण आयोग का उक्त आदेश Ipso Facto निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि आयोग का उक्त आदेश राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के दिनांक–03.05.2018 के आदेश पर आधारित था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया। फलतः राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या–03/2017 में दिया गया निर्णय बिना किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किए ही निष्प्रभावी हो गया। पुनः C.W.J.C.No.2408/2021 में दिनांक–31.08.2021 में पारित आदेश के आलोक में ही राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा पुनः सुनवाई करने के उपरांत आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07.12.2021 से श्रीमति खुशबू आरा की जाति पुनः **''शेख''** (सामान्य श्रेणी) निर्धारित की गई है।

राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के उक्त आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07.12.2021 द्वारा श्रीमति खुशबू आरा की जाति पुनः **''शेख''** (सामान्य श्रेणी) निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप वाद संख्या–03/2017 में दिया गया आदेश पुनः प्रभावी हो गया है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती खुशबू आरा के द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा–135 के तहत अर्जित अयोग्यता पुनः प्रभावी हो गया है। साथ ही साथ राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के उक्त आदेश ज्ञापांक–14561, दिनांक–07.12.2021 द्वारा श्रीमति खुशबू आरा की जाति पुनः **''शेख''** (सामान्य श्रेणी) निर्धारित कर दी गई है। चूँकि वे अत्यन्त पिछड़ी जाति (अनुसूची–1) महिला वर्ग की सदस्या नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत विषहरिया का मुखिया पद अत्यन्त पिछड़ी जाति (अनुसूची–1) महिला वर्ग हेतु आरक्षित

है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथा संशोधित) की धारा–136 (2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रीमती खुशबू आरा को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत विषहरिया प्रखण्ड–भरगामा, जिला–अररिया के मुखिया के पद से पदमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही उक्त ग्राम पंचायत विषहरिया प्रखण्ड–भरगामा, जिला–अररिया मुखिया का पद रिक्त समझा जायेगा।

(ख) यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन C.W.J.C. No. 202/2022, के फलाफल से प्रभावित होगा।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.03.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.03.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–43/2021 1000 पटना, दिनांक–27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/03/23
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–43/2021 1000 पटना, दिनांक–27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी,अररिया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

27/03/23
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–43/2021 1000 पटना, दिनांक–27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि–वादी श्रीमती रूखसाना प्रवीण, पिता–मो0 शाहजहाँ, पता–ग्राम–मजरही, थाना–भरगामा, जिला–अररिया एवं प्रतिवादी श्रीमति खुशबू आरा, पति–नवरेज, पता–ग्राम–विषहरिया, पोस्ट–अकरथापा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज विषहरिया, प्रखण्ड– भरगामा, जिला–अररिया वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज विषहरिया, प्रखण्ड– भरगामा, जिला–अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

27/03/23
विशेष कार्य पदाधिकारी